



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2072]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 26, 2017/श्रावण 4, 1939

No. 2072]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 26, 2017/SRAVANA 4, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2017

(आय-कर)

का.आ. 2338(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (19कक) के स्पष्टीकरण 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 14 अक्टूबर, 2016 में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3204(अ) तारीख 14 अक्टूबर, 2016 को संशोधन करती है, अर्थात् :--

2. उक्त अधिसूचना में,--

(क) खंड (i) में, "अंतरण करने" शब्दों के स्थान पर, "अंतरण द्वारा" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) खंड (ii) में "सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी" के लिए "इस संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 410 के अधीन गठित अपीलीय अधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना में निर्दिष्ट नियत तारीख को आंकड़े, कोष्ठक" सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 73/2017, फ़ा. सं. 149/251/2015-टीपीएल]

प्रवीण रावल, निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 3204(अ) तारीख 14 अक्टूबर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th July, 2017

(INCOME-TAX)

S.O. 2338(E).—In exercise of the powers conferred by Explanation 5 to clause (19AA) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby amends the notification of the Government of India, Ministry of Finance number S.O. 3204(E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 14th October, 2016, namely:—

2. In the said notification,—

- (a) in clause (i), for the words “to transfer”, the words “by way of transfer of” shall be substituted;
- (b) in clause (ii) for the words “public sector company”, the words, figures, bracket “public sector company on the appointed date indicated in the scheme approved by the Appellate Tribunal constituted under section 410 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) in this behalf” shall be substituted.

[Notification No.73/2017,F. No.149/251/2015-TPL]

PRAVIN RAWAL, Director (Tax Policy & Legislation)

Note : Previous notification was published in the gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) dated the 14th October, 2016 vide S.O. 3204(E) dated the 14th October, 2016.